

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/

प्रार्थीगण

बनाम

2042

अप्रार्थीगण

दिनांक - 30.8.19

1 आईदानराम 2 वीरमाराम 3 चेतनराम
पिसरान रावताराम जाति कुम्हार
निवासी चकधोलका, जालीपा तहसील
व जिला बाड़मेर।

1 हरजीराम पुत्र पेमाराम 2 वीरमाराम पुत्र
मेघाराम 3 करनाराम पुत्र पूनमाराम जाति
प्रजापत 4 रोजाखां पुत्र जुसबखां 5 इसानखां
6 हारुणखां 7 मगनखां 8 कायमखा 9
महेन्द्रखां 10 मलूकखां पिसरान जारुखां जाति
मुसलमान निवासी चकधोलका, जालीपा
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 112/2019 दिनांक-27/08/19

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा चकधोलका पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 74 रकबा 05.09 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2019/

2043-2046

दिनांक- 30.8.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जालीपा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. आईदानराम पुत्र रावताराम वगैराह जाति कुम्हार निवासी चकधोलका, जालीपा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी खहरजीराम पुत्र पेमाराम वगैराह जाति प्रजापत निवासी चकधोलका, जालीपा तहसील व जिला बाड़मेर।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर